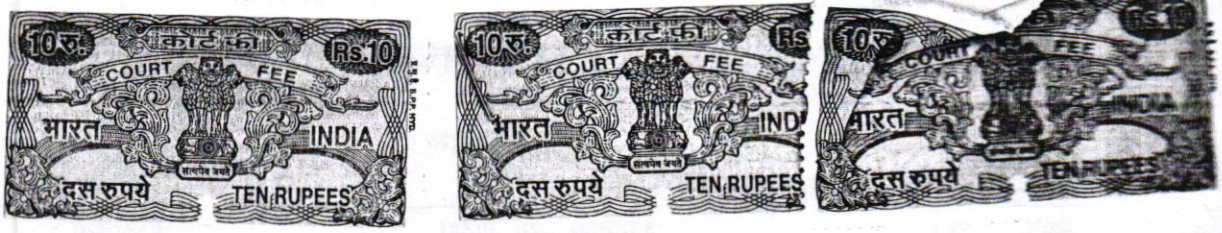

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

PBR/पुनर्विलोकन/धार/भू.रा./2017/4054

मूल प्रकरण क्र. 217–एक/2003

आदेश दिनांक – 06.10.2016

रिव्यू प्रकरण क्र.

भारतसिंह पिता चुन्नीलाल

आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि

निवासी – ग्राम खलघाट, तहसील धरमपुरी जिला धार

– प्रत्यर्थी/प्रार्थी

विरूद्ध

1. मृतक कडवासिंह पिता मांगीलाल
2. रामरतन पिता नरसिंह

आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि

निवासी – ग्राम खलबुजुर्ग तहसील धरमपुरी जिला धार

– प्रतिप्रार्थी/अपीलार्थीगण

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर अध्यक्ष महोदय द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 217–एक/2003 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी याचिका निम्नानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

प्रार्थी तर्फे निवेदन है कि :–

1– यह कि, प्रकरण में प्रतिप्रार्थी कडवासिंह पिता मांगीलाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त महोदय

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/रिव्यु/धार/भूरा/2017/4054

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री हरीश सोंलकी द्वारा रिव्यु ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि. 6-10-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध लगभग एक वर्ष के विलम्ब से यह अवधि बाह्य रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन व तर्क में प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाते हुये उनके द्वारा अभिभाषक द्वारा बताया कि आवेदक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो केवल हस्ताक्षर करना जानता है तथा मूल अधिवक्ता की मृत्यु होने के उसे आदेश की जानकारी नहीं होने का उल्लेख किया है जो समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में 1992 आरएन 289 लंगरी(श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा - 5 - व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति - वैवेकिक है - पक्षकार विलम्ब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है - पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है -न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढा सकता ।" अत: उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह रिव्यु आवेदन समय बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है। अध्यक्ष	